—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 100/2024

उनवान

1. सुरेश पुत्र रामधन
2. राजू पुत्र रामधन समस्त जाति जाट निवासी ग्राम कटसूरा, अराई, अजमेर

—— प्रार्थीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. सुमोत्रा पत्नी रामधन
2. काना पुत्र रामचन्द्र,
3. माया पत्नी काना,
4. किशनलाल पुत्र राधाकिशन,
5. मनोहर पत्नी किशनलाल,
6. भूरी पत्नी राधाकिशन,
7. ग्यारसी पुत्री राधाकिशन,
8. सूरता पुत्री राधाकिशन,
9. भंवरलाल पुत्र श्रीकिशन,
10. निरमा पत्नी भवंरलाल, जाति जाट नि. मोडी, नसीराबाद,
11. संतोक पत्नी जगदीश जाति भांबी नि. मोडी, नसीराबाद,
12. मैनेजर बैंक आफॅ इंडिया, श्रीनगर,
13. राज. सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 13 जरियें राज. पैरोकार, शेष अनुपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: आदेश :— दिनांक :— 18.8.25

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मोडी की निम्न आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की सह खातेदारी/सह काश्तकारी की है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

वंर्किग खसरा नम्बर	श्रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
339 मिन	0.03	220	0.03
367	0.12	246	0.12
369	0.15	253	0.15
348 मिन	0.12	259	0.12
375	0.12	274	0.12
400 मिन	0.09	338	0.09
400 मिन	0.03	340	0.03

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:06:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

उपरोक्त आराजी वंर्किग जमाबंदी में रामचन्द्र पुत्र गोपी के नाम खातेदारी दर्ज थी। प्रार्थीगण के परनाना रामचन्द्र थे। रामचन्द के कुल 5 वारिस राधाकिशन, श्रीकिशन, काना, रामधन, हरलाल हुये। रामधन की मृत्यु हो गयी हे जिसकी वारिस अप्रार्थी संख्या 1 सुमोत्रा है। रामधन की पत्नी की मृत्यु हो गयी है। रामधन प्रार्थीगण का नाना होने के कारण आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा निहित है। उक्त आराजी प्रार्थीगण की पुश्तेनी होने के कारण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रार्थीगण का आराजी मुतनाजा पर हक व अधिकार निहित है। प्रार्थीगण के नाना रामधन व माता सुमोत्रा की खातेदारी भूमि को अप्रार्थी संख्या 2 से 10 बिना विभाजन किये बैचान करने पर आमादा है। अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे है तथा भूमि पर दखलदांजी कर रहे है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 11 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने इस प्रकरण में जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

<u>प्रथम दृष्टया मामला</u> :—

ग्राम मोडी की आराजी मुतनाजा राजस्व अभिलेख में अप्रार्थीगण/पूर्वज के नाम खातेदारी दर्ज है। गोमा पत्नी रामधन के स्थान पर अप्रार्थी संख्या 1 सुमोत्रा का नामान्तकरण जरियें विरासत प्रकियाधीन है। सुमौत्रा पत्नी रामधन अप्रार्थी संख्या 1 जीवित है। प्रार्थीगण का आराजी मुतनाजा पर सुमोत्रा के हक व हिस्से तक ही अधिकार है। प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण के नाना रामधन व माता सुमोत्रा की खातेदारी भूमि को अप्रार्थी संख्या 2 से 10 बिना विभाजन किये बैचान करने पर आमादा है। किन्तु अप्रार्थी संख्या 2 स 10 द्वारा स्वयं के हिस्से से अधिक आराजी का बैचान नही किया जा सकता है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बैचान किये जाने की आंशका प्रार्थीगण द्वारा नही दर्शायी गयी है। अप्रार्थीगण राजस्व अभिलेख में खातेदार है। प्रार्थीगण का आराजी मुतनाजा पर हक व अधिकार मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही तय होगा। रिकार्डेड खातेदार को बिना विषम परिस्थितिशें के पाबंद किया जाना न्यायोचित नही है। अप्रार्थीगण किस प्रकार आराजी मुतनाजा में दखलदांजी कर रहे है यह प्रार्थीगण सिद्व नही कर पाये है। प्रकरण प्रथम दृष्टया विरूद्व प्रार्थीगण सिद्व होता है।

2. <u>अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना</u> :—

विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी आराजी पर पुश्तैनी तथ्य के आधार पर खातेदारी प्राप्त करना चाहते है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बेचान करने पर आमादा होने का कथन प्रार्थना पत्र में नही किया है। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व नही होती है।

3. <u>सुविधा का संतुलन</u> :—

न्याय[illegible] में व्यादेश [illegible] करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को ध्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का [illegible] किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्र[illegible] दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व नही होता है व अपूरणीय क्षति [illegible] में नही है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी विरूद्व प्रार्थीगण सिद्व होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:06:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

आदेश :– अतः ग्राम मोडी की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:06:17 IST
Reason: SelfAttested